



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 698 राँची, मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2024 (ई०)

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2024

संख्या-3बी०/क्षे०स्था०(सांख्यिकी)-01/2022-4043-A---भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन सांख्यिकी संवर्ग के राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन करने के लिए "झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2024" गठित करते हैं।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2024" कही जायेगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों: -

- (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है - झारखण्ड राज्य।
- (ii) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है - झारखण्ड सरकार।
- (iii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है - झारखण्ड के राज्यपाल।
- (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
- (v) 'नियमावली' से अभिप्रेत है - झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2024
- (vi) 'गठन' से अभिप्रेत है - झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग का गठन।
- (vii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है - झारखण्ड राज्य में वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग।
- (viii) 'संवर्गीय' पद से अभिप्रेत है - राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा सांख्यिकी संवर्ग के कुल राजपत्रित/अराजपत्रित स्वीकृत पद।
- (ix) 'कोटि' से अभिप्रेत है - वेतनमान के अनुरूप पदों का वर्गीकरण जो सेवा संवर्ग में विनिश्चित होगा।
- (x) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है - वन संरक्षक
- (xi) 'आयोग' से अभिप्रेत है - झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
- (xii) 'सेवा शर्त' से अभिप्रेत है - नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, उपादान, ग्रुप बीमा और भविष्य निधि।
- (xiii) 'सदस्य या सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है - झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति।
- (xiv) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है - वह कैलेंडर वर्ष जिसमें नियुक्ति की गई है।

3. झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग का गठन:-

- (i) झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग का गठन संवर्गीय पदों पर नियुक्त एवं प्रोन्नत कर्मियों को मिला कर होगा।
- (ii) सांख्यिकी संवर्ग के पद (गणक, सांख्यिकी संगणक/संकलक तथा सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद जिला स्तरीय होंगे तथा सांख्यिकी पदाधिकारी के पद (प्रोन्नति के पद) राज्य स्तरीय होंगे।

4. झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग की संख्या और संरचना:-

- (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को नियम 3 के अधीन गठित वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग की संख्या और संरचना की अवधारणा राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायेगा और इसे राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाएगा। जब तक ऐसा प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पहले प्रवृत्त स्थिति बनी रहेगी।
- (ii) इन पदों पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा पदस्थापन किया जाएगा। पदों पर सीधी नियुक्ति "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग" के खुली प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची के अनुशंसा पर की जायेगी। उक्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की जाएगी।
- (iii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सांख्यिकी कर्मियों के लिए गठित प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के उपरान्त स्वीकृत पदों पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाएगी।

5. झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के पद, उनका वर्गीकरण तथा नियुक्ति स्रोत:-

सांख्यिकी संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न कोटि के पद, उनका वर्गीकरण तथा नियुक्ति स्रोत निम्नवत् अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होंगे:-

क्र० सं०	पद का नाम	पदसमूह/श्रेणी	नियुक्ति का स्रोत	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	गणक	समूह-ग	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	पे0 मैट्रिक्स लेवल - 3 5200-20200/- ग्रे0 पे0 - 20000/-	शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति।
2	सांख्यिकी संगणक/संकलक	समूह-ग	100%(प्रतिशत) गणक के पद से प्रोन्नति।	पे0 मैट्रिक्स लेवल - 4 5200-20200/- ग्रे0 पे0 - 20000/-	गणक के पद से शत प्रतिशत प्रोन्नति।

3	सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद (सांख्यिकी पर्यवेक्षक/सांख्याता सांख्यिकी सहायक/वरीय सांख्यिकी सहायक)	समूह-ख	50%(प्रतिशत) पदों पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सीधी नियुक्ति तथा 50%(प्रतिशत) पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आलोक में सांख्यिकी संगणक/संकलक के पदों से प्रोन्नति।	पे0 मैट्रिक्स लेवल - 6 9300 - 34800/- ग्रे0 पे0 - 4200/-	50%सीधी नियुक्ति एवं 50%प्रोन्नति।
4	सांख्यिकी पदाधिकारी	समूह-ख	सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद से 100% (प्रतिशत) पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति।	पे0 मैट्रिक्स लेवल - 8 9300 - 34800/- ग्रे0 पे0 - 4800/-	शत प्रतिशत प्रोन्नति।

स्वीकृत पदों के अनुसार सांख्यिकी संगणक/संकलक का पद -58% , सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद -36% एवं सांख्यिकी पदाधिकारी का पद -06% होगा।

अध्याय-2

भर्ती/नियुक्ति एवं प्रोन्नति

6. संवर्ग में प्रवेश/भर्ती/नियुक्ति का स्रोत:-

- (क) **गणक:-** वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग के पदसोपान के मूल कोटि का पद गणक का पद होगा। इसके सभी पदों पर "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग" द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
- (ख) **सांख्यिकी संगणक/संकलक:-** इनके शत प्रतिशत पद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि एवं वरीयता के आधार पर गणक के पद से प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएँगे।
- (ग) **सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद:-**
- (i) सांख्यिकी पर्यवेक्षक के 50%पद पर नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी। सीधी भर्ती की प्रक्रिया कर्णांकित उपबंध के अनुसार होगी।

(ii) सांख्यिकी पर्यवेक्षक के शेष 50% पद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत सांख्यिकी संगणक/संकलक पदधारकों से वरीयता एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

(घ) **सांख्यिकी पदाधिकारी:-** सांख्यिकी पदाधिकारी का पद राजपत्रित पद है। सांख्यिकी पर्यवेक्षक/सांख्यिकी सहायक/सांख्याता/समकक्ष पद पर कार्यरत कर्मियों से वरीयता, सुयोग्यता एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के आधार पर शत प्रतिशत प्रोन्नति के माध्यम से सांख्यिकी पदाधिकारी के पद भरे जाएंगे।

7. **आरक्षण:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति तथा उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में आरक्षण अधिनियम तथा उसके तहत समयसमय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों/रोस्टर का अनुपालन आरक्षण हेतु अनिवार्य होगा।

8. **रिक्तियों का निर्धारण:-** प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 1ली जनवरी को आधार तिथि मानते हुए नियुक्ति हेतु रिक्तियों का निर्धारण किया जायेगा।

अध्याय-3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

9. **सीधी भर्ती हेतु अहर्ता:-**

(क) **गणक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता:-**

गणक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) **सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद के लिए शैक्षणिक योग्यता:-**

सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद के 50%(पचास प्रतिशत) पदों पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र विषय में से किसी एक विषय में स्नातक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा।

10. **नियुक्ति की प्रक्रिया:-**

(क) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उपर्युक्त नियम-7 के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या आकलित करेगा तथा सक्षम प्राधिकार रोस्टर क्लीयरेंस के उपरान्त सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अध्याचना भेजेगा।

(ख) गणक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के विषय:-

क्र०सं०	पेपर	विषय	स्तर	पूर्णांक	पाठ्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1	I	सामान्य हिन्दी एवं भाषा ज्ञान	मैट्रिक	100	सभी प्रश्न विषयनिष्ठ प्रकृति के होंगे।
2	II	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन	मैट्रिक	100	सामयिक विषय, संस्कृति एवं खेलकूद, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।
3	III	गणित/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी	मैट्रिक	100	सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।

- (i) चयन हेतु न्यूनतम अहर्ताक का सामान्य रूप से निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-13026 दिनांक-27.11.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में निम्न रूप से होगा:-

सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32%
आदिम जनजाति	30%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40%

झारखण्ड

राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित अद्यतन प्रावधान इस नियमावली में लागू होंगे।

- (ii) मेधा सूची तैयार करते समय सामान्य हिन्दी (पेपर-I) विषय के प्राप्तांक को अन्य विषय के साथ नहीं जोड़ा जायेगा। सामान्य हिन्दी के पत्र में मात्र उत्तीर्णांक (30% अंक) लाना अनिवार्य होगा।
- (iii) अभ्यर्थी को गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी विषय में से किसी एक का चयन करना होगा।
- (iv) कुल प्राप्तांक 200 अंक (पेपर- II & III) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(ग) सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के विषय:-

क्र०सं०	पेपर	विषय	स्तर	पूर्णांक	पाठ्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1	I	सामान्य हिन्दी एवं भाषा ज्ञान	स्नातक	100	सभी प्रश्न विषयनिष्ठ प्रकृति के होंगे।

2	II	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन	स्नातक	100	सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर, सामयिक विषय, संस्कृति एवं खेलकूद, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सामयिक घटनाओं एवं आर्थिक विश्लेषण तथा कम्प्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे।
3	III	गणित/सांख्यिकी/ अर्थशास्त्र	स्नातक	100	सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे।

- (i) चयन हेतु न्यूनतम अर्हता का सामान्य रूप से निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या -13026 दिनांक-27.11.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में निम्न रूप से होगा:-

सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32%
आदिम जनजाति	30%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40%

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा यथा संशोधित अद्यतन प्रावधान इस नियमावली में लागू होंगे।

- (ii) मेधा सूची तैयार करते समय सामान्य हिन्दी (पेपर-I) विषय के प्राप्तांक को अन्य विषय के साथ नहीं जोड़ा जायेगा। सामान्य हिन्दी के पत्र में मात्र उत्तीर्णांक (30% अंक) लाना अनिवार्य होगा।
- (iii) अभ्यर्थी को गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी विषय में से किसी एक का चयन करना होगा।
- (iv) कुल प्राप्तांक 200 अंक (पेपर-I & II) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
- (घ) प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन के संबंध में उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सभी संगत विषयों पर निर्णय लेने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग सक्षम होगा, परन्तु इस प्रसंग में कोई दुविधा या शंका होने पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

- 11. उम्र सीमा:-** नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की कैलेण्डर वर्ष में माह अगस्त की प्रथम तिथि (01 अगस्त) को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो।

12. परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि/प्रशिक्षण:-

- (क) (i) सीधी नियुक्ति से नियुक्त कर्मचारी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी।
- (ii) आयोग द्वारा चयनित होकर नियुक्त गणक, सांख्यिकी संकलक/संगणक एवं सांख्यिकी पर्यवेक्षक को विभागीय तकनीकी कार्यों का दो माह का अनिवार्य प्रशिक्षण विभाग स्तर पर दिया जायेगा। वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग के राजपत्रित पद पर प्रोन्नत पदाधिकारियों का संस्थागत प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य संस्थान में दिया जायेगा। विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी कर्मों

को विविध सांख्यिकी विषयों पर प्रशिक्षण दिये जाएँगे। प्रशिक्षण की अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- (iii) इस संवर्ग के कर्मों को सांख्यिकी संबंधी अद्यतन तकनीकी एवं आधुनिक उपकरणों / उपस्करों को उपयोग करने संबंधी कार्यों का समय-समय पर विभाग अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। सभी कर्मों को इस प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (iv) **विभागीय परीक्षा:-** एक वर्षीय क्षेत्रीय पदस्थापन के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यों से संबंधित विषयों तथा विभागीय प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर इस विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- (v) विभागीय प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक उत्तीर्णता, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित होने वाले हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित होने वाले जनजातीय भाषा परीक्षा तथा कम्प्यूटर संचालन से संबंधित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

(ख) सेवा संपुष्टि: विभागीय प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा, हिन्दी-टिप्पण एवं प्रारूपण, जनजातीय भाषा परीक्षा तथा कम्प्यूटर संचालन संबंधित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्णता तथा लगातार दो वर्षों की स्वच्छ सेवा के उपरांत नियुक्त कर्मों की सेवा को सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

अध्याय-4

प्रोन्नति

क्र०	प्रोन्नति का स्तर	पदनाम	पदसमूह/श्रेणी	प्रोन्नति का पद सोपान	प्रोन्नति के लिये निर्धारित (प्रतिशत)%	वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	सांख्यिकी संगणक/संकलक	समूह-ग	गणक पद से प्रोन्नति द्वारा	(शत प्रतिशत)	पे० मैट्रिक्स लेवल - 4 5200 - 20200/- ग्रे० पे० - 2400/-
2	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद (सांख्यिकी पर्यवेक्षक/सांख्याता/सांख्यिकी सहायक/वरीय सांख्यिकी सहायक)	समूह-ख	सांख्यिकी संगणक/संकलक पद से प्रोन्नति द्वारा	(कुल स्वीकृत पद का 50%)	पे० मैट्रिक्स लेवल - 6 9300 - 34800/- ग्रे० पे० - 4200/-

3	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	सांख्यिकी पदाधिकारी	समूह-ख	सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद (सांख्यिकी सहायक/ सांख्याता/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक/वरीय सांख्यिकी सहायक से प्रोन्नति द्वारा	शत- प्रतिशत(100 %)	पे0 मैट्रिक्स लेवल - 8 9300 - 34800/- ग्रे0 पे0 - 4800/-
---	-------------------------	---------------------	--------	---	--------------------	--

13. प्रोन्नति का पद सोपान:

उपर्युक्त संवर्ग पद संरचना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

14. (क) सांख्यिकी कर्मियों को अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा के लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (ख) प्रोन्नति का आधार वरीयता एवं वांछित योग्यता धारित करने वाले योग्य कर्मियों की स्वच्छ सेवा होगी। अगले सभी उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा के लिये कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा, हिन्दी-टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा तथा कम्प्यूटर संचालन से संबंधित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्णता अनिवार्य है।
- (ग) गणक से सांख्यिकी संगणक/संकलक तथा सांख्यिकी संगणक/संकलक से सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद (सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ सांख्याता / सांख्यिकी सहायक/वरीय सांख्यिकी सहायक) के पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया निम्नवत् होगी-
- (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर तृतीय वर्गीय पदों के लिए गठित प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत वन विभागीय कर्मियों के प्रोन्नति के लिए अनुशंसा की जायेगी।
- (ii) प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों का जिला स्तरीय प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास द्वारा अनुमोदन के उपरान्त प्रोन्नति की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
- (iii) कर्मियों की तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोपों की स्थिति के आधार पर प्रोन्नति समिति प्रोन्नति की अनुशंसा करेगी।

(घ) झारखण्ड राज्य के विभागीय सांख्यिकी संवर्ग हेतु प्रोन्नति समिति का गठन:-

- (i) सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद (सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ सांख्याता / सांख्यिकी सहायक/ वरीय सांख्यिकी सहायक) से सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा गठित प्रोन्नति समिति अनुशंसा करेगी। इस समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची।	-	अध्यक्ष
स्थापना के प्रभारी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची।	-	सदस्य
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची।	-	सदस्य
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची।	-	सदस्यसचिव
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के नामित उप सचिव से अन्यून स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि पदाधिकारी	-	सदस्य
वित्त विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी	-	सदस्य

- (ii) सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों की एक राज्य स्तरीय वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा तथा प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों का राज्य स्तरीय आरक्षण रॉस्टर विभाग को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा तथा विभाग द्वारा अनुमोदन के उपरान्त प्रोन्नति की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
- (iii) समय-समय पर विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था के तहत प्रोन्नति समिति प्रोन्नति की अनुशंसा करेगी।
- (iv) उपरोक्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड द्वारा सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा।

15. कालावधि:- प्रोन्नति के लिए सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

16. वरीयता का निर्धारण:- वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग में सीधे चयनित एवं प्रोन्नति के माध्यम से प्रोन्नत कर्मचारी/पदाधिकारी की वरीयता सरकार द्वारा शासित नियमों/परिपत्रों के आलोक में निर्धारित होगी। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण नियमानुसार मेधा सूची के आधार पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-5

कर्तव्य एवं कार्य

17. **कर्तव्य एवं दायित्व:-** सांख्यिकी संवर्गीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

- (क) (i) **गणक:-** विभागीय योजना/ सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों का रख-रखाव तथा संकलन कर उच्च स्तर के कार्यालयों को प्रेषित करना। वन गणना/सर्वेक्षण से संबंधित आवंटित कार्यों का निष्पादन तथा सांख्यिकी गणक/संकलक/संगणक तथा नियंत्री पदाधिकारी के कार्यों में सहयोग करना।
- (iv) **सांख्यिकी संकलक/संगणक:-** विभागीय योजना/ सांख्यिकी संबंधी सभी प्रकार के प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन, रख रखाव तथा उनका विश्लेषण कर उच्चस्तरीय कार्यालय को प्रेषित करना, वन गणना के लिए सैम्पल के रूप में चयनित स्थलों में वन से संबंधित आँकड़ों का एकत्रीकरण तथा इसका मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड कार्यालय को ससमय प्रेषित करना।
- (iii) **सांख्यिकी पर्यवेक्षक:-** गणक एवं सांख्यिकी गणक को समय-समय पर प्रशिक्षण देना, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण, प्रमण्डल स्तर पर वन गणना/सर्वेक्षण के प्राप्त आँकड़ों विभागीय योजना/ सांख्यिकी संबंधी प्रतिवेदनों का संकलन/मूल्यांकन तथा विश्लेषण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को प्रेषित करना। साथ-साथ इसे सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रस्तुत करना एवं उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- (iv) **सांख्यिकी पदाधिकारी:-** सांख्यिकी कर्मों के कार्यों का पर्यवेक्षण, उनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का मूल्यांकन विश्लेषण करना, प्रतिवेदन तैयार करना, विभाग द्वारा आवंटित अन्य कार्यों से संबंधी सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार करना। वे वांछित प्रतिवेदनों को ससमय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को प्रेषित करेंगे।
- (ख) तकनीकी आवश्यकतानुसार समय-समय पर कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण विभाग करेगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

18. **नियुक्ति प्राधिकार एवं नियंत्रण:-** झारखण्ड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी अंतिम रूप से प्रशासी विभाग यथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे।
19. **अनुशासनात्मक कार्रवाई:-** संवर्ग के कर्मियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई "झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 (यथा संशोधित)" के द्वारा नियंत्रित होगी।
20. **विविध:-**
- (क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।
- (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

21. नियमों का शिथिलीकरण:- राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को संशोधन करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निदेश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

22. निरसन और व्यावर्ति:-

- (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जाएँगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।
- (iii) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उनके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।
- (iv) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सक्षम होगा।
- (v) इस नियमावली के नियम को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो।
- (vi) इस सेवा के लिए अन्य शर्त यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि जो इस नियमावली में उल्लेखित नहीं हैं, के संबंध में राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ तत्समय लागू नियमावली या उल्लेखित नियमावलियों के प्रावधान से नियंत्रित होगी।
- (vii) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से संबंधित सभी प्रासंगिक परिपत्र/निर्णय निरसित समझे जाएँगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- (अस्पष्ट)

सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
